आमुख

मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में यहां के जागीरदारों एवं प्रमुख ऐतिहासिक घरानों में यथा – **1) ब्राह्मण वर्ग** के पाणेरी–पुरोहित–पालीवाल, बड़वा तथा **2) जैन वर्ग** में भामाशाह – मेहता(चील) – मेहता (बच्छावत) – कोठारी – बोलिया घराना, **3) सहीवाला** घराना एवं **4) पानरवा** (भोमट) ठिकाना और साथ ही मेवाड़ राजवंश से सम्बन्धित घरानों में **शिवरती, करजाली तथा नेतावल** की अत्यन्त महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका रही है। यहां के सामन्तों/जागीरदारों एवं अन्य वर्गों के प्रमुख व्यक्ति जहां एक ओर शासन प्रबन्ध के स्तम्भ रहे हैं वहीं दूसरी ओर इन्होंने युद्ध अभियानों में राजभक्ति के साथ अप्रतिम साहस, शौर्य व त्याग का परिचय दिया। उन्होंने मेवाड़–धरा की रक्षार्थ जिस निःस्वार्थ भावना से बलिदान दिया वह भारत के इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है। अद्यावधि अभी तक प्रकाशित इतिहास ग्रंथों में मेवाड़ के महाराणाओं पर काफी शोध कार्य हुआ है परन्तु यहां के जागीरदारों एवं अन्य वर्गों के योगदान पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। मेवाड़ राज्य के इतिहास को समझने के लिए यहां के जागीरदारों एवं अन्य वर्गों यथा जैन, ब्राह्मण, जनजातिय भील इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यद्यपि महाराणा अमरसिंह (द्वितीय) एवं महाराणा भीमसिंह कालीन अभिलेखागार से उपलब्ध बहियों में जागीरदारों के क्रियाकलापों और उनकी उपलब्धियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती तथापि उनकी रेख, उपज, राजस्व और सैनिकों की संख्या अंकित होने से उनके स्तरीकरण और प्रशासन में उनकी भागीदारी का पता लगाया जा सकता है।

महाराणा अमरसिंह द्वितीय कालीन बही में मेवाड़ के जागीरदारों की जाति श्रेणी के अनुसार सूची में ठाकुरों के जागीर गांवों की रेख और राजस्व मद दर्शायी गई है। रेख और उपत ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। रेख के आंकड़ों का सम्बन्ध जागीरदार व जागीर–गांव दोनों से जुड़ा हुआ है। जागीरदार के स्तर के अनुसार उसकी रेख निश्चित की जाती थी फिर उसकी पूर्ति के केन्द्र में मेवाड़ महाराणाओं, सरदारों, जागीरदारों को रोकड़ वेतन नहीं देकर गांव प्रदान कर दिये जाते थे। गांव की आय के अनुसार उसकी रेख तय की जाती थी। जागीरदार व जागीर पट्टे के गांवों की रेख सदा एक समान रहे यह जरूरी नहीं था। जागीरदार की रेख उसके स्तर और सेवाओं के अनुपात में घटती–बढ़ती रहती थी और उसी अनुपात में उसके पट्टे के गांवों में कटौती अथवा बढ़ोतरी संभव थी। गांवों की रेख अनुमानित आय से आंकी जाती थी और आय के घटने बढ़ने पर अपवादस्वरूप ही उसकी रेख में परिवर्तन किया जाता था। महाराणा राजसिंह की पट्टा बही (ठाकुरां री रेख बही) से यह तथ्य हमारे सामने आया है कि अगर किसी जागीरदार को उसकी रेख के अनुपात में अधिक रेख के गांव दे दिये जाते तो बढ़ी हुई रेख के बदले कुछ रोकड़ रूपये जागीरदार को राजकोष में जमा कराने पड़ते थे। दूसरी ओर अगर जागीरदार को निर्धारित रेख के अनुपात में कम रेख के गांव आवंटित किए जाते तो उसकी पूर्ति हेतु राज्य की ओर से रोकड़ राशि जागीरदार को मिलती थी। रेख के अनुसार जागीरदार को सेवाऐं देनी पड़ती थी और राज दरबार में मान–सम्मान भी उसके अनुसार मिलता था। भारत में मेवाड़ का शासन प्रबन्ध प्राचीन भारत के जनकल्याणकारी राजतन्त्रात्मक प्रणाली के अनुसार था। मेवाड़ का अधिपति मेवाड़नाथ भगवान श्री एकलिंगजी एवं राज्य का दीवान महाराणा थे और सम्पूर्ण राज्य जागीरों में

बँटा हुआ था। केन्द्र में महाराणा या दीवान को प्रशासन की समस्त शक्तियाँ एवं पद प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसी प्रकार उनके जागीरदारों को अपनी जागीरों में प्रशासन से सम्बन्धित शक्तियाँ व पद प्रतिष्ठा थी।

17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मुगल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक राजनैतिक इकाईयों का निर्माण होने लगा। सत्ता के अनेक केन्द्र स्थापित होने से देश के इतिहास का समग्र अध्ययन कठिनाई पूर्ण हो गया। स्वतन्त्रता प्रिय राज्य की शासन प्रणाली के प्रशासन तन्त्र के अध्ययन हेतु यत्र–तत्र स्थानीय रूप से बिखरी हुई सामग्रियों का संकलन, अध्ययन व विश्लेषण की महत्ती आवश्यकता है, इसलिए 1300 वर्षों के प्राचीन मेवाड़ के प्रशासन प्रबन्धन की दृष्टि से शोध कर्ता–इतिहासवेत्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध सामग्री का संकलन करना नितान्त आवश्यक है।

मैंने मेवाड़ के जागीरदारों एवं अन्य निजी ऐतिहासिक संग्रहालयों से शोध सामग्री को उजागर करने का लक्ष्य रखा। इतिहासवेत्ताओं के लिए ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान को स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। यहाँ सम्पूर्ण क्षेत्र में यत्र–तत्र विपुल रूप से बिखरी हुई शोध सामग्रियों अस्तित्व में है। प्राचीन भारत की प्रान्तिय प्रशासनिक अथवा स्थानीय प्रशासन व्यवस्था अनुसार जागीरदारों को जागीर में जन न्याय, लोक कल्याण एवं जन सुरक्षा हेतु उत्तरदायी थे। जहाँ तक मध्यकालीन इतिहास के स्त्रोतों का प्रश्न है यह शोध सम्बन्धित अप्रकाशित सामग्री जितनी राजस्थान में उपलब्ध है उतनी संभवतः देश के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। वस्तुतः पुरालेख सामग्री विश्वसनीयता की दृष्टि से अन्य अनेक प्रकार के मौलिक स्त्रोतों में अधिक महत्वपूर्ण मानी गयी है। राजस्थान के पूर्व रियासतों की राजधानी में उपलब्ध अधिकांश पुरालेखीय दस्तावेजों को

एकत्रित कर राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित रखा गया है। जिसका उपयोग देश–विदेश के विद्वान अपने शोध कार्यों के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे भी अधिक मात्रा में तथा प्रत्येक प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्रियाँ पूर्व सामन्तों के ठिकानों में भी भरी पड़ी है। उसकी ओर यद्यपि गत शताब्दी के सातवें व आठवें दशक में कतिपय इतिहासकारों ने ध्यान आकर्षिक करने का प्रयास किया, किन्तु विद्वानों में इस अत्यधिक महत्वपूर्ण सामग्री के प्रति अपेक्षाकृत उपेक्षा का व्यवहार रहा है। संभवतः इसके पीछे कारण सामग्री प्राप्त करने की कठिनाई रही हो। पूर्व सामन्तों के परिवारों की निजी सम्पत्ति होने से इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होना स्वाभाविक भी है।

अपने चयनित विषय हेतु डॉ. मीना गौड़, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर साधुवाद की पात्र है कि ऐसी विषम स्थिति में तीन पूर्व जागीरदारों के यहाँ रखी हुई 17वीं से 19वीं शताब्दी की पुरालेखीय सामग्री को प्राप्त करने और शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराने में सफल रही। उन्होंने अपने प्रायोजनान्तर्गत गोगुन्दा, कोठारिया तथा कानोड़ ठिकाने में रखे हुए पट्टे–परवानों का संकलन किया गया है। उपर्युक्त तीनों ठिकानों के सामन्तों की मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीनों ठिकानों की सामग्री का चयन एक अन्य विशेषता लिए हुए भी है। ये तीनों ठिकाने अलग–अलग राजपूत वंशों के हैं। गोगुन्दा के ठिकानेदार झाला थे तो कोठारिया के चौहान और कानोड़ के सिसोदिया, जो राणा के वंशज ही थे। मैंने इसी प्रकार के कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रायोजनाओं, ग्रन्थों को पढ़कर शोध हेतु मेवाड़ के प्रशासन में जागीरदारों एवं ऐतिहासिक घरानों पर शोध कार्य करना

आवश्यक समझा क्योंकि अभी तक इस विषय पर देश–विदेश में शोध नहीं हुआ।

इसी उद्देश्य को लेकर मैंने पेसिफिक उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, उदयपुर के सामाजिक एवं मानविकीय संकाय के इतिहास विभाग में शोध कार्य करने हेतु मेरे शोध मार्गदर्शक, इतिहासविद्, प्रोफेसर डॉ. अजात शत्रु सिंह राणावत 'शिवरती' उदयपुर के विद्वत्तापूर्ण परामर्श में यह शोध कार्य सम्पादित किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध – **''मेवाड़ प्रशासन में जागीरदारों एवं प्रमुख ऐतिहासिक घरानों की भूमिका'' (18वीं–20वीं शताब्दी)** इस विषय के चयन से लेकर निरन्तर दत्त संकलन और विभिन्न शोध सामग्री के संकलन और संपादन तक सहयोग करने के प्रति आभारी हूँ।

मैं उक्त शोध प्रबन्ध के प्रस्तुतीकरण में विविधतापूर्ण शोध विषयक सामग्री प्रस्तुत करने हेतु दस्तावेजों के लिए भारत के जाने माने इतिहासकार डॉ. जी. एल. मेनारिया निदेशक, तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान, उदयपुर के मूल्यवान योगदान तथा मेवाड़ के वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. गिरीशनाथ माथुर के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी हूँ। इसके साथ मेरे द्वारा शिवरती घराने के वयोवृद्ध व्यक्तित्व महाराज मानसिंह जी शिवरती, करजाली परिवार से महाराज चन्द्रवीर सिंह जी मेवाड़ प्रशासन में सहयोगी ऐतिहासिक घराने के प्रबुद्ध, बोलिया परिवार के रिटायर्ड इंजीनियर वाई. के. बोलिया, बड़वा परिवार से सम्बन्धित डॉ. राजेन्द्रनाथ पुरोहित, चूण्डावत घराने से श्री करण सिंह जी कल्याणपुर एवं पाणेरी घराने के शिक्षाविद् श्री गणपत पानेरी, मेहता परिवार के कैप्टन श्री प्रताप सिंह जी मेहता, पुरोहित परिवार के डॉ. चन्द्रकान्त पालीवाल से लिए गए साक्षात्कार भी इस शोध कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस हेतु मैं

उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही पेसिफिक विश्वविद्यालय के डायरेक्टर पी.जी. स्टडी प्रो. डॉ. हेमन्त कोठारी जी, डीन पेसिफिक आर्ट्स कॉलेज डॉ. सौरभ त्यागी, ऐसोसिऐट प्रोफेसर डॉ. मनोज दाधीच, इतिहास विभाग की प्रोफेसर एवं तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान की प्राचार्य डॉ. मिनाक्षी मेनारिया, वाणिज्य एवं प्रबन्धक विभाग पेसिफिक विश्वविद्यालय सहायक प्रोफेसर डॉ. सूर्य प्रकाश वैष्णव एवं विभाग के अन्य सदस्यों के सहयोग एवं प्रोत्साहन के बिना यह कार्य संभव नहीं था। अतः मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने इस शोध कार्य के लिए मेरे परम पूज्य पिता श्री फतह सिंह जी एवं पूजनीय माता श्रीमती विमला देवी की सतत प्रेरणा व स्नेह के प्रति कृतज्ञ हूँ। इसी क्रम में मैं अपनी पत्नि प्रतिभा, पुत्री कीर्ति व गर्विता, पुत्र विनयराज एवं परिवार के अन्य सदस्यों में मेरे छोटे भ्राता अधिवक्ता नारायण सिंह, उनकी पत्नि श्रीमती रतन कंवर एवं भतीजी दिव्यांशी तथा भतीजा जयवर्धन सिंह को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनको सहयोग से यह शोध कार्य सम्पन्न हो सका। साथ ही मेरे गुरूजी डॉ. चन्द्रकान्त जी पुरोहित (मुंशी जी) सदस्य राजपुरोहित घराना मेवाड़ द्वारा उपलब्ध कराए गए ताम्रपत्र व शोध विषय सामग्री उपलब्ध करवाई इसके लिए में उनका हृदय से आभारी हूँ। इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ क्योंकि उनके प्रेरणा एवं आशीर्वाद के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था।

मैं महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट के पुस्तकालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर शाखा, राजस्थान विद्यापीठ साहित्य संस्थान के निदेशक डॉ. जीवन सिंह खरकवाल, उप निदेशक डॉ. कुलशेखर व्यास एवं भूपाल नोबल्स के प्रताप शोध संस्थान, तक्षशिला विद्यापीठ संस्थान चीरवा, शिवरती शोध संस्थान, साथ ही सरस्वती

पुस्तकालय गुलाब बाग और नगर निगम पुस्तकालय उदयपुर से शोध ग्रंथ एवं अन्य उपयोगी शोध सम्बन्धित सामग्री के लिए आभार व्यक्त करना मेरा नैतिक कर्त्तव्य है।

अन्त में मैं भाई श्री हितेष एवं मनीष बिकानेरिया (जूही कलेक्शन, उदयपुर) का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मूल्यवान शोध कार्य को पूर्ण दक्षता और सावधानी के साथ कम्प्यूटर टंकण करके इसे समयावधि पूर्णता प्रदान की है।

रामसिंह राठौड़
शोधार्थी